


मु० न०:- 229/2022

तारीखरजू:- 20/12/22

उनवान:- सोढी बाई बनाम सुआबाई
दावा बाबत घोषणा खातेदार, इन्द्राज दुरुस्ती, स्थायी निषेधाज्ञा

दिनांक 20/12/22 फर्द अहकाम
वादीगण की ओर से श्री महेन्द्र कुमार शर्मा एडवोकेट ने दावा स्थायी निषेधाज्ञा आर. टी. एक्ट के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया, अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तहसील क्षेत्र टोडाभीम के जरिये तहसीलदार एवं तहसील क्षेत्र टोडाभीम के बाहर के सम्मन जरिये रजिस्टर्ड डाक द्वारा नोटिस से तलब कर पत्रावली दिनांक 23.01.2023 को पेश हो।


(दुर्गा प्रसाद मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम जिला करौली

8804-8888

23/1 पत्रावली पेश हुई। वादी वकील उपस्थित। प्रतिवादी नं० 1 वगान 4 की ओर से श्री राघारमण शर्मा एडव ने वकालतनामा पेश किया। जो शामिल पत्रावली रहे। व प्रतिवादी नं० 5, 6 पैरोकार सरकार उपस्थित। ए० साख्वा भ्रमण पर पधारि है। वास्ते अग्रिम आदेश दिनांक 3-2-2023 को पेश हो।

3-2-23 पत्रावली पेश हुई। वकील उमय पञ्जकारान उप० वास्ते जवाब पेश करने हेतु दिनांक 24-2-23 को पेश हो।

24/2/23

पत्रावली पेश हुई। वार की ओर से कार्य स्थगन रखा गया है। गतानुसार दिनांक 6.4.23 को पेश हो।

5-4-23

पत्रावली पेश हुई। वार की ओर से कार्य स्थगन रखा गया है। गतानुसार दिनांक 11-5-23 को पेश हो।



फर्द अहकाम

पत्रावली पेश हुई / वाडी यमीर उपखण्ड
वाडी वलीर के वाडी आरूप पत्र कवाही / वाडी
वहा 9 12 24 को पेश है

पत्रावली पेश हुई / वाडी एवं वाडी यमीर
कोडी उपखण्ड नही वार 9 भावाजि डिवाई
वाडी इसके उपखण्ड में कोडी उपखण्ड नही
हुका इलाके वाडी का उम्ह डावा वाडी
की अदम पेशवी अदम डाखी में खारिज
किया जाता है / पत्रावली केशवकुमार डीकर
नरकर से कम कट डाखीर हुपर है